



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30092026-276658
CG-DL-E-30092026-276658

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 781]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 29, 2026/आश्विन 7, 1948

No. 781]

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 29, 2026/ASVINA 7, 1948

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 सितंबर, 2026

सा.का.नि. 851(अ).— भारत सरकार के रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) ने भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 3, खंड I, तारीख 16 अक्टूबर, 2002 में प्रकाशित, अधिसूचना सं0 2002/ईआर-3400/16 तारीख 11 अक्टूबर, 2002 द्वारा अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन, लखनऊ (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त संगठन कहा गया है) को तारीख 1 जनवरी, 2003 से लखनऊ मुख्यालय के साथ क्षेत्रीय रेल के रूप में घोषित किया गया था ;

और, भारत सरकार के रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) ने, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i), तारीख 19 अप्रैल, 2012 में प्रकाशित अधिसूचना सं0 ई (जीपी) 2005/1/60, तारीख 19 अप्रैल, 2012 द्वारा निम्नलिखित नियमों को, 1 जनवरी, 2004 से, उन बातों के सिवाय निरसित कर दिया था, जिन्हें ऐसे निरसन से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, अर्थात् :--

(क) अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन (समूह 'क' तकनीकी पद) भर्ती नियम, 1983 ;

(ख) अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन (समूह 'क' गैर-तकनीकी पद) भर्ती नियम, 1978 ;

और, अ.अ.मा.सं. को क्षेत्रीय रेल की प्रास्थिति दिए जाने के परिणामस्वरूप, रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) ने पत्र संख्या ई(जीपी) 2006/2/36, तारीख 14.09.2006 के अधीन यह निर्णय लिया था कि चयन या सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से उक्त संगठन में समूह 'ख' पदों पर प्रोन्नति के लिए, वहीं नियम या अनुदेश लागू होंगे, जो क्षेत्रीय रेलों के विभिन्न विभागों में समूह ख प्रोन्नति के लिए लागू होते हैं।

अतः, अब, राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत का राजपत्र में सा.का.नि. 505, तारीख 16 जून, 1983 द्वारा प्रकाशित अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन (समूह 'ख' तकनीकी पद) भर्ती नियम, 1983 का, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से, उन बातों के सिवाय विखंडन करती हैं, जिन्हें ऐसे विखंडन से पूर्व किया गया था या करने का लोप किया गया था।

[फा. सं. 2016/ई (जी) आरआर/15/2/आरडीएसओ]

पल्लवी गोस्वामी, निदेशक, स्था (राजपत्र. संवर्ग)

MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

NOTIFICATION

New Delhi, the 25 September, 2026

G.S.R. 851(E).— Whereas, the Government of India in the Ministry of Railways (Railway Board), vide notification No. 2002/ER/3400/16, the dated 11th October, 2002 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section I, dated the 16th October, 2002 declared the Research Designs and Standards Organisation, Lucknow (hereinafter referred to as the said Organisation) as a Zonal Railway with its headquarters at Lucknow with effect from the 1st January, 2003;

And, whereas, the Government of India in the Ministry of Railways (Railway Board), vide notification No. E(GP)2005/1/60, dated the 19th April, 2012 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) dated the 19th April, 2012 has repealed the following rules, except as respects things done or omitted to be done before such repeal, with effect from the 1st day of January, 2004, namely:-

- (a) the Research Designs and Standards Organisation (Group 'A' Technical Posts) Recruitment Rules, 1983;
- (b) the Research Designs and Standards Organisation (Group 'A' Non-technical Posts) Recruitment Rules, 1978;

And whereas, consequent upon grant of status of Zonal Railway to RDSO, the Ministry of Railways (Railway Board) has taken a decision vide letter no. E(GP) 2006/2/36 dated the 14.09.2006 that, for promotion to Group 'B' posts in the said Organisation through selection or Limited Departmental Competitive Examination, the same set of rules or instructions that are applicable to Group 'B' promotions in the different departments of the Zonal Railways, shall apply.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby rescinds the Research Designs and Standards Organisation (Group 'B' Technical posts), Recruitment Rules, 1983 published in the Gazette of India vide G.S.R 505, dated the 16th June, 1983, except as respects things done or omitted to be done before such rescission with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

[F.No. 2016/E(G)RR/15/2/RDSO]

PALLAVI GOSWAMI, Director, Estt. (Gaz. Cadre)